

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक:- रा0खा0आ0 — 303
प्रेषक,

शबनम परवीन
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:- 04.05.2023

विषय:- गिरिडीह जिला में FCI से JSFC गोदाम तक अनाज के परिवहन के दौरान
अनाज के विचलन के आरोप के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि श्री राजेश कुमार पाठक, गाण्डेय, गिरिडीह के द्वारा गिरिडीह जिला के JSFC के परिवहन अभिकर्ता द्वारा FCI से JSFC गोदाम में गोदाम के ढुलाई में काफी संख्या में अनाज से भरे ट्रक के कालाबाजारी का परिवाद-पत्र प्राप्त हुआ था। परिवाद-पत्र को गिरिडीह DSO सह DM, JSFC को जाँच कर सुस्पष्ट प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु आयोग के पत्रांक-268 दिनांक-20.04.2023 से निदेशित किया गया।

DSO सह DM, JSFC गिरिडीह के पत्रांक-256 दिनांक-25.04.2023 द्वारा आयोग को दिनांक-02.05.2023 को ईमेल से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि गाण्डेय प्रखण्ड के गोदाम की क्षमता मात्र 250 MT है, जिसके कारण खाद्यान्न उठाव एवं अनलोडिंग की अधिकता होने के कारण परिवहन अभिकर्ता द्वारा गत माह स्वेच्छा से गाण्डेय का 15 ट्रक खाद्यान्न धनवार गोदाम में खाली करा दिया गया था एवं इसकी जानकारी AGM एवं परिवहन अभिकर्ता द्वारा DSO को नहीं दी गई। ज्ञातव्य हो कि जिला प्रबंधक गिरिडीह के पत्रांक-224 दिनांक-11.04.2023 द्वारा गाण्डेय एवं बिरनी में खाद्यान्न ट्रकों के नहीं पहुँचने की सूचना प्रबंध निदेशक को दिया गया था। पत्र के साथ संलग्न कागजातों के अनुसार गाण्डेय गोदाम में जून, 2021 से नवंबर, 2022 तक 25 ट्रक खाद्यान्न एवं FCI के दिनांक-15.03.2023 को बिरनी गोदाम के लिए Dispatch 4 ट्रक गोदाम में नहीं पहुँचने का उल्लेख है। DSO सह DM, JSFC द्वारा गाण्डेय प्रखण्ड के 25 ट्रक अनाज नहीं पहुँचने का एवं बिरनी प्रखण्ड के 4 ट्रक अनाज नहीं पहुँचने का उल्लेख MD, JSFC को संबोधित पत्र में किया गया था, जबकि आयोग को प्रेषित उक्त पत्र में गाण्डेय अंचल के मात्र 15 ट्रक अनाज का उल्लेख किया गया। ऐसे में तत्काल MD एवं DM स्तर से परिवहन अभिकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए थी। तत्काल कार्रवाई नहीं कर परिवहन अभिकर्ता से साँठ-गाँठ कर मामले की लिपापोती कराने का प्रयास प्रतीत होता है। पत्रों की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।


जहाँ तक आयोग को जानकारी है प्रत्येक माह के लिए आवश्यक मात्रा में चावल का Dispatch FCI से निर्दिष्ट गोदाम के लिए कराया जाता है। साथ ही विभाग द्वारा JSFC गोदाम पर online प्राप्ति करने की व्यवस्था कराई गई है। ऐसे में किसी निर्दिष्ट गोदाम के लिए Dispatch किए गए गोदाम का receiving दूसरे गोदाम पर नहीं हो सकता है। साथ ही यदि गाण्डेय प्रखण्ड

गोदाम के लिए Dispatch किए गए चावल को दूसरे गोदाम में ले जाया गया, तो उस प्रखण्ड के लिए आवश्यक खाद्यान्न की कमी होना स्वाभाविक है और ऐसे में प्रखण्ड के लाभुकों को उनके अहर्ता के अनुरूप अनाज का मिलना संदेहास्पद है। इसलिए यह संभव नहीं है कि खाद्यान्न का receiving निर्दिष्ट गोदाम में नहीं होकर किसी दूसरे गोदाम में हो। संभावना है कि कालाबाजारी के आरोप के प्रकाश में आने पर वैसे ट्रकों का manual receiving किसी दूसरे प्रखण्ड के AGM से साँठ-गाँठ कर कराया गया हो। DM JSFC गिरिडीह के दोनों पत्रों के समीक्षा से इस प्रकार के विचलन में पदाधिकारियों के संलिप्ता से इंकार नहीं किया जा सकता।

उल्लेखनीय है कि गिरिडीह जिला से सम्बन्धित अनाज नहीं मिलने के सामुहिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिस पर आयोग स्तर से कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि FCI से JSFC गोदाम तक ढुलाई के क्रम में हो रहे तथाकथित विचलन ही इन समस्याओं का मूल कारण है। अतः अपेक्षा है कि इस मामले का गम्भीरता से निष्पक्ष रूप से जाँच कर कठोर कार्रवाई किया जाए ताकि लाभुकों को उनके अहर्ता के अनुरूप खाद्यान्न मिल सके।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन


4.5.23
(शबनम परवीन)

सदस्य,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

387

Date 02/05/2023

25/5/23

प्रेषक,

झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)
जिला कार्यालय-गिरिडीह।

दिनांक 25/04/2023

पत्रांक 256

जिला अपूर्ति पदाधिकारी,
-सह-जिला प्रबंधक,
झारखण्ड राज्य खाद्य निगम,
गिरिडीह।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
राँची।

596
02.5.23

596
02.5.23

विषय :- जन वितरण प्रणाली विक्रेता के ट्रकों का भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम तक नहीं पहुँचने के आरोप पर प्रतिक्रिया।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक 268 दिनांक 20.04.2023
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा श्री राजेश कुमार पाठक, गाण्डेय गिरिडीह के द्वारा पिछले दो वर्षों में गाण्डेय के लिए निकले कम से कम 100 ट्रक नहीं पहुँचने संबंधी आरोप पर प्रतिक्रिया की मांग भवदीय द्वारा की गई है। उक्त संबंध में अनुरोध पूर्वक कहना है कि श्री राजेश कुमार पाठक का 100 ट्रक नहीं पहुँचने संबंधी आरोप पूर्णतः असत्य है। गाण्डेय गोदाम की क्षमता मात्र 250 एम0टी0 है जिस कारण विगत माह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खाद्यान्न उठाव एवं अनलॉडिंग की अधिकता रहने के कारण परिवहन अभिकर्ता के द्वारा 15 (पन्द्रह) ट्रक खाद्यान्न की गाड़ी गाण्डेय में खाली नहीं करवाकर खाद्यान्न व्ययगत ना हो इस लिए स्वेच्छा से प्रखंड गोदाम धनवार (क्षमता 1000 एम0टी0) में खाली करवा दिया गया था परन्तु इसकी जानकारी अद्योहरताक्षरी को समय पर ना ही सहायक गोदाम प्रबंधक धनवार के द्वारा दी गई ना ही परिवहन अभिकर्ता के द्वारा दिया गया। इस संबंध में परिवहन अभिकर्ता एवं सहायक गोदाम प्रबंधक, धनवार को कारण पृच्छा भी अद्योहरताक्षरी के संज्ञान में आते ही की गई है एवं प्रबंधक निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम, मुख्यालय राँची को भी पत्र द्वारा सूचित किया गया है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

25/4/2023

जिला अपूर्ति पदाधिकारी,
-सह-जिला प्रबंधक,
झारखण्ड राज्य खाद्य निगम,
गिरिडीह।

25/04/2023

झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)

जिला कार्यालय-गिरिडीह।

पत्रांक 224.....

प्रेषक,

जिला प्रबंधक,
झारखण्ड राज्य खाद्य निगम,
गिरिडीह।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
झारखण्ड राज्य खाद्य निगम,
मुख्यालय, राँची।

गिरिडीह, दिनांक 11/04/2023

विषय :-

श्री सुबीर कुमार परदेशी, परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता द्वारा कारण पृच्छा का जवाब नहीं देने के संबंध में।

प्रसंग :-

कार्यालय ज्ञापांक 194 दिनांक 26.03.2023 एवं ज्ञापांक 204 दिनांक 29.03.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक, बिरनी एवं गाण्डेय के द्वारा खाद्यान्न से भरा ट्रक नहीं पहुँचने से संबंधित सूचना दिया गया था जिसके आलोक में श्री परदेशी को प्रासंगिक पत्र से स्पष्टीकरण भी किया गया था परन्तु श्री परदेशी के द्वारा आज तक स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त के संबंध में भवदीय रत्तर से यथोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

M. G. Jaiswal
जिला प्रबंधक,
झारखण्ड राज्य खाद्य निगम,
गिरिडीह।
10/04/23

झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)
जिला कार्यालय-गिरिडीह।

ज्ञापांक.....204

दिनांक 29/03/2023

प्रेषित,

श्री सुवीर कुमार परदेशी,
परिवहन-सह-हथालन अभिकर्ता,
जे0एस0एफ0सी0, गिरिडीह।

विषय :- भारतीय खाद्य निगम डीपो से राज्य खाद्य निगम गोदाम, गाण्डेय में उठाव परिवहन किए खाद्यान्न से भरा ट्रक नहीं पहुँचने संबंधी स्पष्टीकरण।

उपर्युक्त विषयक प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक, गाण्डेय के पत्रांक शून्य दिनांक 29.03.2023 की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि भारतीय खाद्य निगम डीपो से खाद्यान्न से भरा ट्रक (कुल 25 ट्रक) राज्य खाद्य निगम गोदाम, गाण्डेय में आज दिनांक 29.03.2023 तक नहीं पहुँचा है, जिसका विवरणी उनके पत्र में सन्नहित है।

उल्लेखनीय है कि खाद्यान्न नहीं पहुँचने के कारण उनके द्वारा ऑनलाईन प्राप्ति में असमर्थता जताई जा रही है साथ ही उक्त के कारण खाद्यान्न Dispatch एवं वितरण भी प्रभावित होने का वर्णन किया गया है, जो अत्यन्त ही खेदजनक है।

उक्त के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें कि किस परिस्थिति में खाद्यान्न की गाड़ी अब तक निगम गोदाम गाण्डेय में नहीं पहुँचा है?

अतः क्यों नहीं इस कृत्य के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई हेतु निगम मुख्यालय को अनुशंसा कर दी जाय।

अनु० :- यथोक्त।

M. G. S.
जिला प्रबंधक 29/3/2023
झारखण्ड राज्य खाद्य निगम,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 204 गिरिडीह दिनांक 29/3/2023
प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

M. G. S.
जिला प्रबंधक 29/3/2023
झारखण्ड राज्य खाद्य निगम,
गिरिडीह।

M. G. S.
29/3/23

PENDING VECHILE 2022

L NO	RONO	GATE PASS NO	VECHILE NO	QUANTITY (K.g)	MONTH	REASON
1	2	3	4	5	6	7
1	PHH/W/226	3489	JH11H-9011	25155.000	Feb-22	गाड़ी नहीं पहुँची है।
2	PMGKAY/PHH/R/253	3810	BR21G-8197	1212.830	Feb-22	गाड़ी नहीं पहुँची है।
3	PMGKAY/PHH/R/256	422	BR01GG-9680	9129.800	Mar-22	गाड़ी नहीं पहुँची है।
4	PMGKAY/AAAY/R/134	4225	BR01GG-9680	2327.951	Mar-22	गाड़ी नहीं पहुँची है।
5	PMGKAY/PHH/R/292	4973	NL01K-4551	2275.000	May-22	गाड़ी नहीं पहुँची है।
6	AAAY/W/28	6896	BR21F-9211	168.000	Jul-22	गाड़ी नहीं पहुँची है।
7	PMGKAY/PHH/R/337	5975	NL02L-0619	20088.000	Jul-22	गाड़ी नहीं पहुँची है।
8	PMGKAY/PHH/R/337	6008	JH10Y-1936	5392.400	Jul-22	गाड़ी नहीं पहुँची है।
9	PHH/W/49	34334	BR27A-2951	18713.765	Aug-22	गाड़ी नहीं पहुँची है।
10	PHH/R/115	7195	JH11F-8557	20068.000	Nov-22	गाड़ी नहीं पहुँची है।

अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि अप्राप्त खाद्यान्न को भेजने की कृपा की जाय ताकि वितरण की समस्या में सामाधान हो सके साथ ही इस पत्र पर साधनभूति पूर्वक विचार करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त रखा जाय।

Singh Kaur (JSC Officer)
29/03/23

विश्वारामाजन

29.03.23

सहायक गोदाम प्रबंधक,
गाण्डेय।

ज्ञापांक...../दिनांक.....।

- प्रतिलिपि:- प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गाण्डेय को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि:- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गाण्डेय को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि:- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

29.03.23

सहायक गोदाम प्रबंधक,
गाण्डेय।

झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)
जिला कार्यालय-गिरिडीह।

ज्ञापांक 194.....

दिनांक 26/03/23

प्रेषित,

श्री सुवीर कुमार परदेशी,
परिवहन-सह-हथालन अधिकर्ता,
जे0एस0एफ0सी0, गिरिडीह।

विषय :- स्पष्टीकरण के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सहायक गोदाम प्रबंधक, विरनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भारतीय खाद्य निगम डीपो से खाद्यान्न से भरा ट्रक राज्य खाद्य निगम गोदाम आज दिनांक 26.03.2023 तक नहीं पहुँचा है, जो निम्नवत है :-

Sr. No.	Dispatch date	Truck No.	FCI Depo Name	Name of Dispatched JSFC Godown	Dispatch Quantity (In Qtl)
01	02	03	04	05	
1	15.03.23	JH02T-6348	PEG DEPO SURUVA-2	BIRNI	248.10000
2	15.03.23	JH02T-4605			248.20000
3	15.03.23	BR26F-4989			295.41000
4	15.03.23	JH02U-6131			249.30000
Total :-					1041.01000

उक्त के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि किस परिस्थिति में खाद्यान्न की गाड़ी अब तक नहीं पहुँचा है? साथ ही उपरोक्त खाद्यान्न से भरा ट्रक निगम गोदाम पहुँचाना सुनिश्चित करें अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई हेतु अनुशंसा कर दी जायेगी।

जिला कार्यालय
झारखण्ड राज्य खाद्य निगम,
गिरिडीह।
26/03/23

नेवा मे

अरे
जिसका प्रबंध महोदय
J S FC - डिस्ट्रीट

से
सुखी - खाद्यान खास से संबंध में।

उं
हमाराग

निवेदन पुरक कहना है कि पक्ष
सुरिया से प्रवंड विली को भेजा गया
खाद्यान चिमन विवरणी अनुस्य अधिन
पाय नही हुआ है।

Lefting 6 Pass मरपलानो 840 मरपलानो - RO.
अपने

15/3/23	8443	JM027.6348	248.10 ⁰⁰	PH Rice
	8447	JM027.4605	248.20	PH Rice
	8710	BR26F4989	295.41	AAW wheel
	8349	JH0206131-	249.30	AAW Rice

अग प्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त
खाद्यान उपलब्ध कराने की कृपा करें वकी
मं वि. पं दुफानो को खाद्यान उपलब्ध करवावसु।

अनेनाप - प्रवंड आकृति पदाव विष्वाहाजन
विरनी को सुचनाय प्रेषित देवचन्द्र कुगा
प्रवंड पदाव विरनी को अनसक सह प्रेषित
सादर सुचनाय प्रेषित। विली
दिनांक 22/03/23